भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1988

30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमरावती का विकास

†1988. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छह महीने से अधिक समय से लंबित उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) की सटीक संख्या और कुल मूल्य सहित आन्ध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) द्वारा अमरावती के विकास के लिए जारी की गई सभी केन्द्रीय निधियों के लिए प्रस्तुत किए गए उपयोग प्रमाण-पत्रों (यूसी) को प्रस्तुत करने का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) केंद्रीय बजट 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की घोषणा की शर्त के साथ अमरावती को एकमात्र राजधानी के बनाए रखने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त किसी औपचारिक कानूनी अथवा समझौता ज्ञापन (एमओयू) आधारित आश्वासन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूमि पूलिंग करने वाले किसानों को उनके विकसित भूखंड और वार्षिक भत्ते समय पर प्राप्त हों, क्या केन्द्रीय अथवा बहुपक्षीय निधियों का भाग स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है; और

(घ) अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (जीपीआरए) और सेंट्रल गवर्मेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) परियोजनाओं को शामिल करते हुए केन्द्र सरकार के आवास के लिए हाल ही में जारी 2,534 करोड़ रुपये का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)

के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 और शहरी परिवहन आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। अपेक्षित सूचना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ): हाल ही में ₹2,534 करोड़ रुपए की अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- अमरावती में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन (जीपीआरए) के निर्माण हेतु दिनांक 30.06.2026 को ₹1,234.91 करोड़ रुपए के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- अमरावती में सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल पूल ऑफिस एकोमोडेशन (सीजीजीपीओए) के निर्माण हेतु दिनांक 30.06.2026 को ₹1,299.08 करोड़ रुपये के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
